राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 993/2014/जयपुर.
2. अपील संख्या – 994/2014/जयपुर.
3. अपील संख्या – 995/2014/जयपुर.
4. अपील संख्या – 996/2014/जयपुर.
5. अपील संख्या – 997/2014/जयपुर.
6. अपील संख्या – 998/2014/जयपुर.
7. अपील संख्या – 999/2014/जयपुर.

मैसर्स मैग्मा फिनकार्प लिमिटेड,
207–208, जी.पी.ओ. के सामने, एम.आई.रोड़, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, घट–द्वितीय, वृत्त–तृतीय, जयपुर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11/08/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये सात अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या क्रमशः 92, 93, 94, 95, 96, 97 व 98/अपील्स III/वैट/13–14 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 14.05.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट–द्वितीय, वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 61, 11 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.04.2013 से सृजित कर, ब्याज एवं शास्ति की पुष्टि की है, जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है।

2. इन सातों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

क्र.सं.	अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	आरोपित		
			कर	ब्याज	शास्ति
1	993/2014	2006—07	2,82,968	2,23,544	5,65,936
2	994/2014	2007—08	1,80,777	1,21,120	3,61,554
3	995/2014	2008—09	2,43,741	1,34,058	4,87,482
4	996/2014	2009—10	2,07,439	89,198	4,14,878
5	997/2014	2010—11	1,54,250	47,817	3,08,500
6	998/2014	2011—12	1,01,750	19,333	2,03,500
7	999/2014	2012—13	36,000	2,520	72,000

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—III वृत्त—III, प्रतिकरापवंचन राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **'जांच अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा दिनांक 09.08.2012 को किया गया। जांच अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा ऋण किस्त चुकाने में दोषी ऋणी ग्राहकों के वाहनों को अपने कब्जे में लेने के पश्चात् पूर्व पंजीकृत वाहनों का नवीन पंजीकरण व्यवहारी के स्वयं के नाम से परिवहन विभाग द्वारा करवाया जाता है तथा इसके पश्चात् व्यवहारी कम्पनी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व में लिये गये वाहनों की बिक्री निलामी/बोली के माध्यम से अधिकतम बोलीदाता को की जाती है। इस प्रकार प्रयुक्त वाहनों का विक्रय नये ग्राहको को किया जाता है तथा प्रयुक्त वाहनों की बिक्री कर योग्य होना पाया गया। अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी द्वारा प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर कर अदा नहीं करने के कारण कर का परिवर्जन/अपवंचन किया जाना पाया गया। उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 5470 दिनांक 19.02.2013 के द्वारा पत्रावली जांच अधिकारी से कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की अनुसूची—IV की प्रविष्टि संख्या—144 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से एवं दिनांक 11.10.2006 से 08.03.2007 तक अनुसूची—II की प्रविष्टि संख्या—16 अधिसूचना क्रमांक 2143 दिनांक 11.10.2006 के अन्तर्गत 1 प्रतिशत की दर से कर देयता होना पाया गया। प्रयुक्त अन्य मोटर वाहनों पर वैट अधिनियम की अनुसूची—V के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2006 से 08.03.2007 तक 12.5 प्रतिशत की दर से एवं 09.03.2007 से 31.03.2007 तक 4 प्रतिशत की दर से कर देयता होना पाया गया। वर्ष 2007—08 की अवधि में प्रयुक्त मोटर वाहनों की बिक्री पर वैट अधिनियम की अनुसूची—IV की प्रविष्टि संख्या—144 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से, प्रयुक्त मोटर कार के अतिरिक्त प्रयुक्त मोटर वाहन पर दिनांक 08.07.2009 से 29.07.2009 तक अनुसूची—V के अन्तर्गत 14 प्रतिशत की दर से एवं अधिसूचना क्रमांक 2530 दिनांक 30.07.2009 के अनुसार समस्त मोटर वाहन पर इंजन की क्षमता के अनुसार कर देयता होना पाया गया।

लगातार.....3

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी वैट अधिनियम में एक पंजीकृत व्यवहारी है तथा एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत कम्पनी है। विभिन्न वाहन विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न क्रेताओं को बेचे जाते है। वे क्रेता ग्राहक जिनको वाहन खरीदने के लिये वित्त की आवश्यकता है वो अपीलार्थी कम्पनी के पास आते हैं। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रेता ग्राहक की साख क्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात् वाहन खरीदने के लिये ऋण स्वीकृत करते हुए उपलब्ध कराती है। अपीलार्थी कम्पनी क्रेता ग्राहकों को ऋण प्रदान करते समय उनके साथ Loan cum hypothecation agreement करती है, तथा अपीलार्थी के पक्ष में चार्ज का सृजन हो जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रेता ग्राहक/ऋणी के साथ Loan cum hypothecation agreement निष्पादित करते समय अपीलार्थी के पक्ष में अपरिवर्तनीय पॉवर ऑफ अटोर्नी निष्पादित की जाती है, जिसमें ग्राहक ऋणी की ओर से कुछ विशिष्ट कृत्य अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्वीकृत ऋण का वितरण वाहन क्रेता ऋणी को किया जाता है। वाहन विक्रेता डीलर वाहन क्रेता के पक्ष में वाहन बेचने का इनवॉइस जारी करता है, तथा लागू वैट वसूल करता है, तथा खजाने में जमा कराता है। वाहन का पंजीकरण क्रेता ऋणी के नाम पर किया जाता है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र में इस आशय की प्रविष्टि की जाती है कि वाहन अपीलार्थी कम्पनी के बंधक रखा हुआ है। वाहन क्रेता ऋणी के द्वारा ऋण का भुगतान कर दिये जाने के पश्चात् वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में बंधक रखने की प्रविष्टि हटा दी जाती है। वाहन क्रेता/ऋणी के द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को आगे की तिथियों के चैक दिये जाते हैं, जो कम्पनी चैकों को भुना कर अपना भुगतान प्राप्त करती है। वाहन क्रेता ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान करने में चूक करने पर अपीलार्थी कम्पनी वाहन विधिक कब्जा ऋणी से लेती है। अपीलार्थी कम्पनी ऐसे वाहनों को निलामी से बेचती है। वाहन क्रेता/ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान करने में चूक करने के कारण अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपने कब्जे में लिये वाहन का विक्रय ऋणी द्वारा किया जाता है। मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 55 के तहत् ऋणी द्वारा नवीन वाहन ओनर को फॉर्म 29, 30 भरा जाता है। निलामी में नवीन वाहन क्रेता द्वारा किया गया भुगतान अपीलार्थी द्वारा रखे गये ऋणी के खाते में जमा होता है, जो ऋण के पेटे समायोजित किया जाता है। बकाया राशि से अधिक राशि वसूल होने की स्थिति में आधिक्य राशि को ऋणी को सुपुर्द की जाती है। वाहन का स्वामित्व ऋणी के पास रहता है। ऋणी द्वारा वाहन को अपीलार्थी कम्पनी के पक्ष में

लगातार.....4

बंधक रखा जाता है जो ऋण की प्रतिभूति के रूप में होता है। बंधक की स्थिति में वाहन का स्वामित्व कब्जा ऋणी के पास रहता है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा वाहन का कब्जा लेने के उपरान्त भी वाहन का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है तथा वह वाहन को किराए/लीज/अन्य कार्यों के लिये नहीं दे सकता है।

5. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किये। लिखित अनुरोध में इस आशय की विधिक आपत्ति का उल्लेख किया की वैट अधिनियम की धारा 25 आकर्षित नहीं होती है, क्योंकि धारा 24 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। गुणावगुण पर निम्न बिन्दु गठित किये गये –

a. क्या अपीलार्थी व्यवहारी वैट अधिनियम के अधीन डीलर कहा जा सकता है जबकि उसके पास वाहन का स्वामित्व नहीं होता है ?

b. क्या अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाहनों को अपने नाम में स्थानान्तरित कराया गया ?

c. क्या अभिलेख में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है जिससे इस आशय की पुष्टि हो कि अपीलार्थी ने वाहन का स्थानान्तरण वाहन का स्वामित्व हस्तान्तरण करने के बाद में किया हो ?

d. कर निर्धारण अधिकारी का यह निष्कर्ष की अपीलार्थी द्वारा वाहन का स्वामित्व अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराया जाता है क्या यह किसी सबूत से समर्थित है?

e. वाहन हस्तांतरित करने के संबंध में क्या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से कोई जांच करायी गई है?

f. क्या मोटर वाहन के कब्जे में लेने को वाहन का स्वामित्व कहा जाता है?

g. क्या अपीलार्थी द्वारा वाहन का विक्रय नहीं किये जाने के कारण ब्याज व शास्ति का आरोपण सही है?

h. क्या खरीद व बिक्री के संव्यवहारों को कर निर्धारण अधिकारी बिना जांच के कल्पना से मान सकता है?

i. यदि इन संव्यवहारों को बिक्री माना जाता है तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया है?

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बंधक रखे गये मोटर वाहन को बिक्री मानने में त्रुटि की गई है।

6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

लगातार.....5

a. **Sales Tax Appellate Tribunal, Andhra Pradesh T.V.S. Finance Ltd. [2010] 3 GST 45 (STAT-AP) v. State of Andhra Pradesh**

b. **Rambagh Palace Hotel Pvt. Ltd., v. CTO reported in 6- S.T.O.- 220**

c. **Day's Medical Stores Ltd. v. CTO A/E, reported in 10 S.T.O.- 281**

d. **Vasuki Electronics Pvt. Ltd v. CTO A/E. S.T.O. Page 1**

e. **D.K. Woolen Industries Pvt. Ltd. v. The CTO 1998- Tax World- Page 14 RTT**

f. **Honda Siel Power Product Ltd. v. AC A/E, Rajasthan, Jaipur 2002-03 Tax Update- Page 320-relevant Para 14**

g. **Hon'ble Raj. High Court in the matter of Indian Hotel Co. Ltd. v. Raj. & Others- 4 S.T.O.- Page 116**

h. **See Maharaja Umaid Mills Ltd. v. C.I.T. Rajasthan 1980 - 121 ITR- Page 141-Raj. H.C.**

i. **Assam Flour Mills, Jaipur v. CTO 1979- TAX Reporter- page 463- Raj. H.C.**

j. **Sundaram Finance Ltd. v. The State of Kerala and Another - 17 STC 489 (SC)**

k. **Federal Bank Ltd. and Others v. State of Kerala and Others - (2007) 6 VST 736 (SC)**

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

7. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने दोनों निम्नतर अधिकारियों के आदेश का समर्थन किया तथा अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये —

a. **माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का W.P.T.T. No 6 of 2011: Tata Motors Finance Ltd. vs. Asst. Commissioner of Sales Tax, Central Section, Investigation Wing, Kolkata.** निर्णय दिनांक 08.10.2013

b. **W.P.T.T. No 24 of 2010: M/s ICICI Bank Ltd. V.s Joint Commissioner of Sales Tax, Central Section Wing & Ors.**

c. **W.P.T.T. No. 4 of 2011: M/s Family Credit Ltd. & Anr. vs. Asst. Commissioner of Sales Tax, Salt Lake Charge & Ors.**

d. माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 203 से 208/2013/जयपुर निर्णय दिनांक 29.10.2015 मैसर्स एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त—तृतीय, जयपुर।

लगातार.....6

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

8. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी जो एक गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी है के द्वारा वाहन के क्रेता ऋणी द्वारा ऋण चुकाने में चूक करने पर वाहन का कब्जा लेकर उसे पुनः बेचने पर देय कर के दायित्व को निर्णीत किया जाना है।

9. हस्तगत प्रकरण के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 2(11), 2(15), 2(17), 2(35), 2(40), 2(41), धारा 4, 10, 20, 21, 25, 61, 71, 72 व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के नियम 19, 36 व 38 का अध्ययन आवश्यक है जो कि निम्न प्रकार है–

2. Definitions. –

(11)**"dealer"** means any person, who carries on business in any capacity, of buying, selling, supplying or distributing goods directly or otherwise, or making purchases or sales as defined in clause (35) for himself or others, whether for cash or deferred payment, or for commission, remuneration or other valuable consideration and shall include–

(i) a factor, broker, commission agent, *del credere* agent or any other mercantile agent, by whatever name called, and whether of the same description as hereinbefore mentioned or not, who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing any goods belonging to any principal whether disclosed or not;

(ii) an auctioneer, who sells or auctions goods belonging to any principal, whether disclosed or not and whether the offer of the intending purchaser is accepted by him or by the principal or a nominee of the principal;

(iii) a manager or an agent, of a non–resident dealer who buys, sells, supplies or distributes goods in the State belonging to such dealer;

(iv) any society, club, trust or other association, whether incorporated or not, which buys goods from or sells goods to its members;

(v) a casual trader;

लगातार.....7

(vi) the Central or any State Government or any of their Departments or offices which, whether or not in the course of business, buy, sell, supply or distribute goods directly or otherwise, whether for cash or deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration; and

(vii) any trading, commercial or financial establishment including a bank, an insurance company, a transport company and the like which, whether or not in the course of its business, buys, sells, supplies or distributes goods, directly or otherwise, whether for cash or deferred payment, commission, remuneration or other valuable consideration;

Explanation – A person, who sells agricultural or horticultural produce, grown by himself or grown on any land in which he has an interest as owner or tenant as defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), shall not be deemed to be a dealer in respect of such sales within the meaning of this clause;

(15) **"goods"** means all kinds of movable property, whether tangible or intangible, other than newspapers, money, actionable claims, stocks, shares and securities, and includes materials, articles and commodities used in any form in the execution of works contract, livestock and all other things attached to or forming part of the land which is agreed to be severed before sale or under the contract of sale;

(17) **"input tax"** means tax paid or payable by a registered dealer in the course of business, on the purchase of any goods made from a registered dealer;

(35)**"sale"** with all its grammatical variations and cognate expressions means every transfer of property in goods by one person to another for cash, deferred payment or other valuable consideration and includes–

(i) a transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(ii) a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;

(iii) any delivery of goods on hire–purchase or other system of payment by instalments;

(iv) a transfer of the right to use goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;

लगातार.....8

(v) a supply of goods by an unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration; and

(vi) a supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating), where such supply is for cash, deferred payment or other valuable consideration,

and such transfer, delivery or supply shall be deemed to be a sale and the word purchase or buy shall be construed accordingly;

Explanation.– Notwithstanding anything contained in this Act, where any goods are sold in packing, the packing material in such case shall be deemed to have been sold with the goods;

(40)**"taxable turnover"** means, that part of turnover, as may be determined after making such deductions from the total turnover as may be prescribed on which a dealer shall be liable to pay tax under this Act ;

(41)**"turnover"** means the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchase price of the goods which are subject to tax under sub–section (2) of section 4 "but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on an earlier occasion;

4. Levy of tax and its rate. –

(1) Subject to the other provisions of this Act and the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the tax payable by a dealer under this Act, shall be at such point or points, as may be prescribed, in the series of sales by successive dealers and shall be levied on the taxable turnover of sale of goods specified in Schedule III to Schedule VI at the rate mentioned against each of such goods in the said Schedules.

Sec. 10. Burden of proof. –

The burden of proving that any sale or purchase effected by any person is not liable to tax for any reason under this Act or to prove for entitlement of input tax credit on any purchases, shall be on such person.

लगातार.....9

Sec. 20. Payment of tax. –

(1) Tax payable under this Act shall be deposited into a Government treasury or a bank authorised to receive money on behalf of the State Government, on the basis of accounts of a dealer in such manner and at such intervals as may be notified by the State Government, and different intervals may be notified for different categories of dealers.

Sec. 21. Filing of return.–

(1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and furnish return, for such period, in such form and manner and within such time as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.

(2) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be specified.

(3) Notwithstanding any thing contained in sub–section (1), where the Commissioner is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may by a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns or may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.

Sec. 25. Assessment in case of avoidance or evasion of tax. –

(1) Where the assessing authority or any officer authorized by the commissioner in this behalf has reasons to believe that a dealer has avoided or evaded tax or has not paid tax in accordance with law or has availed input tax credit wrongly, he may after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, determine at any time and for any period, that taxable turnover of such dealer on which tax has been avoided or evaded or has not been paid in accordance with law or wrong input tax credit has been availed and assess the tax to the best of his judgment.

(2) The tax assessed under sub–section (1), after adjustment of input tax credit and the amount deposited in advance in this behalf, if any, shall be payable by the dealer within thirty days from the date of service of the notice of demand. However, the assessing authority or any officer authorized by the Commissioner, after recording reasons in writing, may reduce such period.

(3) The assessment under sub–section (1) shall not be made after the expiry of a period of six months from the date of making out the case. However, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, in any particular case, extend this time limit for a further period not exceeding six months.

लगातार.....10

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where notice has been issued under sub-section (1), the authority issuing such notice shall be competent to make the assessment for the relevant year.

(5) No notice under sub-section (1) shall be issued after the expiry of five years from the end of the relevant year.

(6) Notwithstanding anything contained in sub–section (3) and (5), where any proceeding relating to an assessment is subject to adjudication before the Tax Board or a competent court or any other authority under this Act, assessment in such matters may be passed within two years from the final adjudication of such proceedings. The limiation of two years shall be counted from the date of communication of the order of such final adjudication to the assessing authority.

Explanation.- For the purpose of this section the expression "date of making out the case" means the date on which notice in pursuance of this section is issued for the first time to the dealer.

the authority issuing such notice shall be competent to make the assessment for the relevant year or quarter, as the case may be; and assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

Sec. 61. Penalty for avoidance or evasion of tax. –

(1) Where any dealer has concealed any particulars from any return furnished by him or has deliberately furnished inaccurate particulars therein or has concealed any transactions of sale or purchase from his accounts, registers or documents required to be maintained by him under this Act or has avoided or evaded tax in any other manner, the assessing authority or any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner, may direct that such dealer shall pay by way of penalty, in addition to the tax payable by him under this Act, a sum equal to two times of the amount of tax avoided or evaded.

(2) Notwithstanding anything contained in sub–section (1), where any dealer has availed input tax credit wrongly, the assessing authority or any other officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner shall reverse such credit of input tax and shall impose on such dealer–

(a) in case such credit is availed on the basis of false or forged VAT invoices, a penalty equal to four times of the amount of such wrong credit; and

(b) in other cases, a penalty equal to double the amount of such wrong credit.

लगातार.....11

Sec. 71. Accounts to be maintained by a dealer. –

(1) Every dealer liable to pay tax under this Act shall keep and maintain a true and correct account of his business activities in an intelligible form including the value and quantity of the goods received, manufactured, sold or otherwise disposed of or held in stock by him. However, the State Government may exempt, such class of dealers as may be notified, from the provisions of this sub–section.

(2) Notwithstanding any thing contained in sub–rule (1) (*sic*), the State Government, if deemed proper, may prescribe forms for maintaining accounts of sales and purchase of goods, stock of raw materials used and finished goods produced.

(3) The accounts required to be maintained under sub–section (1) shall be kept by the dealer at the place(s) of business as recorded in his certificate of registration, and the stock book as referred to in sub–section (2) shall be kept at the place where manufacturing activity is carried on; however, final accounts, annual statements, registers and documents shall be kept at the principal place of business.

(4) Where a dealer has established branches at places in the State other than the principal place of business, the necessary accounts, registers and documents relating to the business activities being carried on at each branch shall, without prejudice to the provisions of sub–section (3), be kept by him at such branch.

(5) The accounts, registers and other documents relating to a year, shall be preserved and kept by a dealer for five years excluding the year to which they relate, and this period of five years shall be deemed to have been extended by such time until any pending proceeding referring thereto under this Act is finally disposed of.

Rule 19. Returns.-

(1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act, shall be submitted by a dealer, who has not opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3 or section 5, or under a notification issued under sub-section (3) of section 8 of the Act, in Form VAT-10 for each quarter within thirty days of the end of the quarter. However, where a dealer files return electronically along with the requisite documents or submits the same in the soft copy to the Department and informs his assessing authority or the officer authorised by the Commissioner, his intention to file monthly returns, he may file monthly returns within twenty days of the end of the month.

लगातार.....12

Explanation: Quarter means the period of three months ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March and month shall mean calendar month."

(1A)Every dealer other than those who has opted for quarterly assessment under sub-section (2) of section 23 shall file, within nine months from the end of the relevant financial year, an annual return in Form VAT-10A.

(2) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act, shall be submitted by a dealer who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3 or section 5 or under a notification issued under sub-section (3) of section 8 of the Act, in Form VAT-11, for the year within ninety days of the end of the year and shall be accompanied with treasury receipt(s)/bank challan(s) of authorized bank as a proof of deposit of tax under section 20 of the Act and shall be signed and verified by the dealer himself or his business manager.

(3) The return required to be filed, under sub-rule (1), by a registered dealer shall accompany.

(a) treasury receipt(s)/bank challan(s) of authorized bank as a proof of deposit of tax;

(b) declaration forms/certificates/forms required under the rules or the notification issued by the State Government;

(c) statement of purchases against VAT Invoices in Form VAT-07;

(d) copy of statement of import in Form VAT-48;

(e) statement of sales to registered dealers, other than those who exercise option under sub-section (2) of section 3, or under section 5 or sub-section (3) of section 8, in Part-I of Form VAT-08;

(f) statement of inter-State sales in Form VAT-50;

(g) copy of sales return register in Form VAT-12, if applicable;

(h) proof of export as specified in rule 28, if applicable; and

(i) account of declaration forms along with details of use, and shall be signed and verified by the dealer himself or his business manager.

If any of the above requirements except the requirement as mentioned in clause (h) are not met with, it shall be deemed to be a case of non-filing of return.

(3A)The dealer shall also submit:

(i) the trading account and in case of manufacturer, trading and manufacturing account; and

(ii) the profit and loss accounts,

within nine months of the close of the year

लगातार.....13

(4) The dealer shall file the return to his assessing authority or in the Taxpayers Service Office in whose area of operation, his principal place of business is situated, personally or through registered post.

(5) Where a dealer has more than one place of business, he shall include in the return, the turnover of the principal place of business as well as the turnover of all other places of business and shall file such return in accordance with sub-rule (4). He shall also intimate the details of turnover of each place of business in Form VAT-13 to the Assistant Commissioner or Commercial Taxes Officer of such area(s) or the Taxpayers Service Office having jurisdiction over such branch(es). The Taxpayers Service Office or Assistant Commissioner or Commercial Taxes Officer shall, after taking necessary action, forward such return to the assessing authority or to the authorized officer having jurisdiction over principle place of business.

(6) Where a dealer discovers any omission or error in any return, other than annual return furnished by him, he may furnish revised return at any time prior to the due date of filing immediately succeeding return or receipt of the notice under sub-section (1) of section 24, whichever is earlier. However, where a dealer has not opted for quarterly assessment under sub-section (2) of section 23, he may furnish such revised return prior to the furnishing of the annual return in Form VAT-10A or receipt of the notice under sub-section (1) of section 24, whichever is earlier.

(7) Notwithstanding anything contained in this rule, any dealer or class of dealers as may be specified by the Commissioner, shall file the return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act, electronically in the manner as provided in rule 19A of the said rules.

Rule 36. Accounts to be maintained by a dealer.

(1) Subject to the provisions of section 71, every dealer registered under the Act shall maintain his accounts according to the system of accounting prevailing in the trade and industry.

(2) Every dealer shall maintain a true and correct account of his purchases against VAT Invoices in Form VAT-07 and of his sales in Form VAT-08. The manufacturer shall also maintain a separate account of his purchases of capital goods against VAT Invoices, in part II of Form VAT-07.

(3) Where such dealer is a manufacturer, he shall maintain the stock of raw material(s) used in Form VAT-33, and that of manufactured goods in Form VAT-34.

(4) Every dealer shall also maintain separate accounts of transactions in the course of inter-State trade or commerce.

लगातार.....14

(5) Every dealer registered under the Act shall maintain separate accounts for exempted goods and so also for the goods taxable at different rates.

(6) The audit report required to be furnished by the dealer under sub-section (1) of section 73 shall be furnished within nine months from the end of the relevant financial year, in the form as may be specified by the Commissioner. However, the audit report for the year 2006-07 may be furnished upto 31.03.2008 and for the year 2007-08 may be furnished upto 31.03.2009.

10. अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई वर्ष 2011—12 की ऑडिट रिपोर्ट जो पत्रावली में पृष्ठ संख्या 62 पर उपलब्ध है, में भी इस आशय की सूचना उपलब्ध है कि अपीलार्थी कम्पनी ने वैस्ट बंगाल वेट अधिनियम के तहत् रूपये 24.5 लाख का भुगतान बकाया है, झारखण्ड वैट अधिनियम के तहत् रूपये 19.42 लाख का भुगतान बकाया है तथा मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के तहत् रूपये 121.6 लाख का भुगतान बकाया है।

11. यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण नहीं चुकाने पर वाहन को अपने कब्जे में लिया जाता है। इसके पश्चात् मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 50/51 व राजस्थान मोटर व्हिकल टैक्सेशन अधिनियम 1951 की धारा 4(1)बी के प्रावधानों की पालना करते हुए वाहन को बेचा जाता है।

12. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया तथा तथ्यों व विधि की भिन्नता के आधार पर वे कोई मदद नहीं करते है।

13. उपरोक्त उद्धरित विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि व्यवहारी कम्पनी भी वेट अधिनियम की धारा 2(35) में परिभाषित विक्रय संव्यवहारों के लिए किसी भी प्रकार से करदेयता से मुक्त नहीं है तथा उक्त अधिनियम के अनुसार यदि संव्यवहार के दौरान व्यवहारी पर किसी प्रकार की कर देयता बनती है तो उसके द्वारा विधिनुसार विहित कर दर से कर संदत किया जायेगा तथा वेट अधिनियम की धारा 2(11) के अन्तर्गत ऐसी वित्तीय संस्थाओं को धारा 2(35) में परिभाषित विक्रय संव्यवहारों के लिए व्यवहारी माना जायेगा।

14. माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने **W.P.T.T. No. 6 of 2011 टाटा मोटर्स फाईनेंस लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त बिक्री कर, सेंट्रल सेक्शन, इन्वेस्टिगेशन विंग; W.P.T.T. No. 24 of 2010 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम संयुक्त आयुक्त बिक्री कर, सेंट्रल सेक्शन विंग व अन्य; W.P.T.T. No. 4**

लगातार.....15

of 2011 मैसर्स फैमिली क्रेडिट लिमिटेड व अन्य बनाम सहायक आयुक्त बिक्री कर, सॉल्ट लेक चार्ज व अन्य में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 08.10.2013 में निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

> "We are, as such of the opinion that the laborious submissions to contend that the petitioners are not the agents, cannot be accepted. In the case of State of West Bengal –v- O.P. Lodha reported in 105 Sales Tax Cases 561, the Apex Court considered the definition of the word 'dealer' appearing from the Bengal Finance Sales Tax Act, 1941 which was as follows:-
>
> > " 'dealer' means any person who carries on the business of selling goods in West Bengal or of purchasing goods in West Bengal or of purchasing goods in West Bengal in specified circumstance or any person making a sale under Section 6D and includes the Central or a State Government, a local authority, a statutory body, a trust or other body corporate which, or a liquidtor or receiver appointed by a court in respect of a person defined as a dealer under this clause who, whether or not in the course of business sells, supplies or distributes directly or otherwise, for cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration.
>
> Explanation 1. – A co-operative society or a club or any association which sells goods to its members is a dealer.
>
> Explanation 2. – A factor, broker, a commission agent, a del credere agent, an auctioneer, an agent for handing or transporting of goods or handling of document of title to goods or any other mercantile agent, by whatever name called, and whether of the same description as hereinbefore mentioned or not, who carries on the business of selling goods and who has, in the customary course of business, authority to sell goods belonging to principals is a dealer."
>
> From a comparison of the definition of the word 'dealer' from the aforesaid act and the Bengal Finance Sales Tax Act, 1941 it would appear that the definition appearing in the aforesaid act is substantially the same. Their Lordships in paragraph 8 of the judgment opined as follows :-

लगातार.....16

> "In my judgment, the scheme of the Act leaves no room for doubt that as agent who sells goods on behalf of somebody else cannot escape the liability to pay sales tax on the sales made by him for and on behalf of others merely because, he was selling goods on behalf of others. The charge under section 6B has been imposed directly upon him by the board definition of "dealer".

15. माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दृष्टान्त के द्वारा व्यवहारी को 'डीलर' की श्रेणी में अवधारित किया है, तथा व्यवहारी को उसके द्वारा बिक्रीत माल पर देय कर के प्रति दायित्वाधीन अवधारित किया गया है।

16. अब यह देखना है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा किया गया वाहनों का विक्रय वेट अधिनियम की धारा 2(35) के अन्तर्गत विक्रय की श्रेणी में आता है या नहीं ? इसके लिए हम अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करना चाहते है। जब कोई ग्राहक नया वाहन लेने हेतु अपीलार्थी के यहां आवेदन करता है तो अपीलार्थी द्वारा वाहनों के पेटे ऋण प्राप्तकर्ता को जो ऋण दिया जाता है उस ऋण बाबत ऋण प्राप्तकर्ता के वाहनों को अपीलार्थी द्वारा हाइपोथिकेट कर लिया जाता है। इस प्रकार हाइपोथिकेट वाहन का वास्तविक कब्जा ग्राहक के पास होता है, परन्तु उसका अनन्य कब्जा ऋण प्रदाता का रहता है अर्थात ऋण प्राप्तकर्ता ग्राहक के पास ऋण का कब्जा अपीलार्थी की ओर से अपीलार्थी के अधीन होता है। इस प्रकार एक प्रकार से वाहनों पर स्वामित्व ऋण प्रदाता का ही माना जाता है तथा यदि ऋणी द्वारा ऋण की किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऋण प्रदाता द्वारा विधिनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाकर, वाहनों का कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है। यहां हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि कई बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जब ऋण दिया जाता है तब से ही वे ऋणी के द्वारा यदि किश्तें नहीं चुकायी जायेगी तो ऐसी स्थिति में अपने ऋण की सुरक्षा हेतु ऋण देते वक्त ही उक्त वाहन के विक्रय से सम्बन्धित खाली फॉर्म नं. 29 व 30 पर ऋणी के हस्ताक्षर अग्रिम रूप से करवा लिये जाते हैं तथा ऋणी द्वारा समय पर किश्ते नहीं चुकाये जाने पर ऋणी की ओर से उक्त खाली फॉर्म नं. 29 व 30 के आधार पर ऋणी की ओर से ही उक्त वाहनों का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाता है तथा ऐसे विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है उसमें से बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने द्वारा दिये गये ऋण की भरपायी कर ली जाती है। दूसरी प्रक्रिया यह अपनायी जाती है कि ऋण

लगातार.....17

की अदायगी नहीं करने पर बैंक/वित्तीय संस्था जिसने ऋण दिया वो उन वाहनों को विधिनुसार कब्जे में लेकर जिला परिवहन अधिकारी के यहां पुराने रजिस्ट्रेशन को निरस्त करवा कर, अपने नाम उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा लेती है तत्पश्चात वाहनों का विक्रय कर अपने ऋण की भरपायी कर लेती है। मोटर व्हिकल अधिनियम, 1988 की धारा 51 में हाइपोथिकेशन द्वारा क्रय किये गये वाहन के संबंध में विशेष प्रावधान किये गये है कि जहां पर ऋण प्राप्तकर्ता ऋण की किश्ते नहीं चुकाता वहां पर ऋण प्रदाता सीधे ही अपने नाम से नया रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है और वे सीधे ही वाहन का स्वामी बन कर इसी अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत ऐसे वाहन का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को करके, उसके नाम रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। अपीलार्थी द्वारा कब्जे में लिये गये बाहनों का बेचान मूल्यवान प्रतिफल (राशि) प्राप्त कर किया गया। इस प्रकार पुनः विक्रय की कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा की गई। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी ने मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर, अपने कब्जे में लिये गये वाहनों का विक्रय नहीं किया गया हो, यह अपीलार्थी का तर्क मानने योग्य नहीं है। अपीलार्थी की ओर से तर्क रहा है कि वाहन के विक्रय के परिणाम स्वरूप जो ज्यादा राशि प्राप्त होती है वह ऋणी को अदा कर दी जाती है। इस कारण लाभ प्राप्ति के लिए विक्रय नहीं किया जाता है लेकिन हमारे मतानुसार व्यवहारी कम्पनी द्वारा वाहनों के विक्रय से प्राप्त राशि/प्रतिफल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, यह विवादित नहीं है तथा विक्रय का उद्धेश्य या विक्रय से प्राप्त राशि का विनियोजन विक्रय के भार पर ओर करदेयता पर कोई प्रभाव नहीं डालते है। वेट प्रावधान 2(11) के अनुसार एक डीलर भी है, प्राप्त प्रतिफल का उपयोग किसी भी रूप यथा किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण देना, सब्सिडी देने, ऋण प्राप्तकर्ता के खाते में राशि जमा कराने में किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी इस आधार पर वाहन के विक्रय संव्यवहारों पर करदेयता के दायित्वों से मुक्त नहीं हो जाता है। व्यवहारी द्वारा यूज्ड मोटर व्हिकल का विक्रय किया है और वेट अधिनियम के प्रावधानों के तहत यूज्ड मोटर व्हिकल पर करदेयता है तथा वेट अधिनियम के तहत डीलर की जो परिभाषा दी गई है उसके तहत अपीलार्थी भी डीलर की परिभाषा में आता है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाहनों को कब्जे में लेकर निर्धारित फीस जमा करवा कर, अपने नाम वाहन पंजीकृत करवा कर, पुनः प्रतिफल के बदले वाहनों को किसी अन्य को विक्रय कर ऐसे क्रेता के नाम से वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी द्वारा किया गया कृत्य विक्रय की परिभाषा में आता है। इस कारण वेट अधिनियम के तहत अपीलार्थी कम्पनी कर चुकाने के

लगातार.....18

लिये दायी है। अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान यह तर्क किया कि अपीलार्थी द्वारा यूज्ड वाहनों का जो विक्रय किया गया है वह विक्रय व्यवसाय/व्यापार नहीं है बल्कि अपनी ऋण की भरपायी के लिये किया गया है। उक्त तर्क के क्रम में हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **फेडरल बैंक लि0** का अवलोकन किया जिसमें गिरवी रखे गये वाहनों को अपने ऋण की भरपायी के लिये बैंक द्वारा बेचा गया था जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :—

> "Whether sale of pledged ornaments for consideration falls in the course of trade or business of the bank. It is no doubt true that banks have to act on instruction of the borrower. In the present case, we are not concerned with the provision of section 176 of the contract Act, 1872. We are concerned with the definition of the word "sale" under the 1963 act. When a bank sells the pledged ornaments it is not acting as an agent of the borrower even under the 1949 Act. When the bank sells the goods pledged with them they do not act as the agents of the borrower. As pledges, the banks, acting under section 176 of the contract act, 1872 have a right to sell the goods. That sale is not as agents but that sale is in exercise of the statutory power under the 1949 Act. No doubt the sale is on behalf of the pledgor, however the sale is in exercise of the statutory power (Dy. CCT v. A.R.S) Thirumeninatha Nadar Firm (1968) 21 STC 184 (MAD). To the same effect is the judgment of the Punjab and Haryana high court in high channel video v. enclave electronics (1999) 116 STC 131 (P&H).Further, on reading the provisions of the 1949 Act, one finds that every bank is required to maintain its balance sheet in form 'A' of the Third schedule quoted above. The prescribe form indicates that non-banking assets acquired by the banks even in satisfaction of claims, are required to declare their holdings. The prescribed form of balance sheet indicates that banks are required to show on the asset side non-banking assets acquired by them in satisfaction of claims. Similarly, in form 'B' of the Third schedule under profit and loss account, banks are required to show income from non-banking assets and profit from sale of such assets. In our view, therefore sale of pledged assets takes place in the course of banking business. Therefore as stated above, the banks in selling the goods pledged to them did not act as agent of the borrowers/pledgors and that their sale was in exercise of statutory power under the 1949 Act. Further in our view it is no doubt true that under section 8 of the 1949 Act. banks are prohibited from trading in goods. However if one reads Section 8 along with the third schedule to the 1949 act it is clear that dealing in non-banking assets is a banking business and the

लगातार.....19

expection made in section 8 which allows banks to realize security and which allows banks to engage in trade in order to realise security, falls within the banking whenever undertaken. When a pledged article is old in an auction, the bank recovers not only its dues but also recovers interests and its other charges. This realisation falls within the parameters of the Third schedule to the 1949 Act. In the circumstances, we are of the view that sale of pledged ornaments falls within the course of banking business under the 1949 Act. In the circumstances, such transactions are taxable under section 2(viii) (q) read with section 5 of the 1963 act. We also find merit in the contention advanced on behalf of the department (the respondents here in) that the very object of the Kerala Finance Act 1998 was to introduce clause (g) in section 2 (viii) in order to get over the judgments of the high court which took the view that sale of pledged goods did not fall in the course of banking business. We have quoted clauses (g). That clause makes it very clear that even if the sale of pledged ornaments takes places outside the banking business, the 1963 act would cover even such transaction. Therefore once such transaction fall under said 1963 act banks become "dealers" and they are liable to pay sales tax under the said 1963 Act. It is true that the definition of the word "sale" under section 2(xxi) of the 1963 act does include mortgage, hypothecation charge or pledge, however the important point to be noted is that the definition of the word "sale" under the 1963 act is not the same as under section 2(xxi) in the 1963 act is very similar to section 2(g) of the central sales tax Act, 1956 which is held to be having a very wide meaning as compared to the definition of the word "sale" in section 4 of the sale of goods Act, 1930 (State of Maharashtra v. Embee Corp. (1997) 7 SCC 190). Further when charges or pledge is enforces that enforcement is by way of sale of the pledged or **hypothecated** goods; that sale is for consideration and, therefore, it falls within the ambit of section 2(xxi) of the 1963 act.

17. इस प्रकार उक्त निर्णय को देखते हुए उक्त निर्णय केवल गिरवी रखी गई सम्पतियों के विक्रय पर ही लागू होता है। यह अपीलार्थी का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा उक्त न्यायिक दृष्टान्त हाइपोथेटिक वाहनों पर भी लागू होता है।

18. **2010 NTN (Vol.44)-368 [WEST BENGAL TAXATION TRIBUNAL] ICICI bank ltd. v/s Joint commissioner,sales tax, central section Kolkata and others** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि –

लगातार.....20

"Dealer – definition scope of – banking companies as well as non-Banking finance companies are dealer under section 2(11)- banking companies as well as non banking finance companies are dealers under section 2(11) of West Bengal Value Added Tax 2003 and are liable to pay tax on the sale of **hypothecated** goods/vehicles for satisfaction of claims under the Hypothecation agreement.

Whether banking companies/Non banking companies are dealer under section 2(11) of West Bengal Value Added Tax 2003 and liable to tax when have sold the pledged goods though for satisfaction of their claim."

19. अपीलार्थी वेट अधिनियम के तहत डीलर कि परिभाषा में नहीं आता हो तथा यूज्ड वाहनों का पुनः विक्रय, बिक्री की परिभाषा में नहीं आती हो। इस बिन्दु बाबत अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक ने जो अन्य न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं उनके तथ्य इन प्रकरणों के तथ्य से भिन्न होने के कारण व माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **फेडरल बैंक लिमिटेड** के निर्णय को देखते हुए भी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का फायदा अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी को नहीं मिलता है।

20. जहां तक आई.टी.सी. का प्रश्न है, राजस्थान वेट नियम, 2006 के नियम 18 आगत कर के संबंध में है लेकिन उक्त नियम के अन्तर्गत जो शर्तें है, उन शर्तों की पालना अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी द्वारा नहीं की गई है तथा अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी द्वारा ऋण की वसूली पेटे ऋणी से वाहन कब्जे में लिया गया था। मूल रूप से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ऋण देते वक्त वाहनों को अपने नाम से नहीं खरीदा गया था। अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया था कि अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी ने अपने ऋण की वसूली के लिए वाहन का विक्रय किया था, इस कारण उस पर करदेयता बनती हो, इस तथ्य की जानकारी अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी को नहीं थी तथा अपीलार्थी की कर चोरी की मंशा नहीं थी इस कारण अपीलार्थी पर जो शास्ति लगायी गयी है उसे निरस्त किया जावे।

21. अपीलार्थी की ओर से पेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2007) 10 वीएसटी 535 (राज.) लॉर्ड वेंकेटश्वर केटरर्स बनाम सी.टी.ओ.** में यह अभिनिर्धारित किया है कि –

"All Transaction dully recorded in books of account- no mala fide intention of not paying tax-Mere rejection of explanation of assessee as not acceptable does not attract penalty."

लगातार.....21

22. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2009) 23 वी.एस.टी. 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडु** में यह अभिनिर्धारित किया है कि –

> "So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's accounts books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealer's turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

23. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य इन प्रकरणों के तथ्यों से भिन्न होने के कारण उनका कोई फायदा अपीलार्थी कम्पनी को नहीं मिलता है क्योंकि हस्तगत प्रकरणों में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी ने सचेत मस्तिष्क से करवंचना की है तथा उसके द्वारा जान–बूझकर स्वयं के उक्त करारोपण को अपनी बिक्री के रूप में कहीं भी घोषित नहीं किया है केवल मात्र कम्पनी लेखों में बतौर वसूली इसको प्रदर्शित किया है। किसी प्रकार के प्रपत्रों में उक्त बिक्री की घोषणा नहीं की है तथा इन सभी संव्यवहारों को बिक्री के रूप में जान–बूझकर नकारते हुए छुपाया गया है तथा समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद भी, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष गलत घोषणायें की जाकर देय कर को राजकोष में जमा नहीं कराया है। इस कारण अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य करापवंचन की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी का करापवंचन का पूर्णतया दोषी मनोभाव रहा है क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी द्वारा अपनी बिक्री विवरणियों में जानबूझकर उक्त यूज्ड वाहनों के विक्रय को प्रदर्शित नहीं कर, बिक्री को छुपाया है जो कि दोषी मनोभाव का परिचायक है। अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी द्वारा उक्त मोटर वाहनों की बिक्री पर देय कर अदा नहीं करने की अपवंचना की है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम ए.सी.टी.ओ.** में करारोपण के कानून को दीवानी दायित्व की श्रेणी में माना है तथा आर्थिक अपराध की श्रेणी में नहीं माना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **ए.आई.आर. 1977 (SC) पेज 2279 आर.एस.जोशी वगैरहा बनाम अजीत मिल लि0 एण्ड अदर्स** के प्रकरण में आर्थिक अपराध और विभागीय शास्तियों के बारे में (Mens rea) के सिद्धान्त को अस्वीकार किया है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी ने मेनसरिया व शास्ति आदेशों के बारे में जो न्यायिक दृष्टान्त अभिलिखित किये हैं, उनको देखते हुए कर निर्धारण अधिकारी

लगातार.....22

द्वारा विधिक रूप से धारा 55 के तहत ब्याज व धारा 61 के तहत जो शास्ति आरोपित की गई वह उचित है तथा रेकार्ड की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कायम किया गया कर व ब्याज का अधिरोपण विधिसम्मत प्रमाणित पाया गया है एवं अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यूज्ड वाहनों की बिक्री पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से करापवंचन/कर का अपवंचन किये जाने से अपीलार्थी कम्पनी के विरूद्ध धारा 61 के तहत जो शास्ति आरोपित की है वह विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

24. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाई गई आपत्ति कि अपीलार्थी का कर निर्धारण वेट अधिनियम की धारा 25 के तहत अविधिक रूप से किया गया है। वैट अधिनियम की धारा 25 आकर्षित नहीं होती है, क्योंकि धारा 24 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वेट अधिनियम की धारा 25 में किया गया कर निर्धारण ही निर्णायक होगा। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2004) 134 एस.टी.सी. 473 अशोक लीलैण्ड लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य** में निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

> "....."Subject to" is an expression whereby limitation is expressed. The order in which a finding is given that the movement of the goods was occasioned by reason of transfer otherwise than by reason of sale, is conclusive for all purposes : It can only be re-opened on a small set of grounds such as fraud, misrepresentation, collusion etc. (see para 61)
>
> .....
>
> 61. In the case at hand it has to be determined whether the sale in question is an interstate one. If through the means of a legal fiction it is determined that this is not an interstate sale, then it amounts to a transfer of stock. This finding is made by a statutory authority who has the jurisdiction to do so and there is no provision for appeal. Therefore, the order made by such authority is conclusive in that it cannot be reopened on the basis that there had been a mere error of judgment. It also cannot be re-opened under another statute, for examples, the Sales Tax Act of the State concerned, when the order had been made under the Central Act. Section 9(2) of the Act is subject to the other provisions of the Act which would include Sub-section (2) of Section 6A of the Act. "Subject to" is an expression whereby limitation is expressed. The order is conclusive for all purposes. It can only be re-opened on a small set of grounds such as fraud, misrepresentation, collusion etc.

लगातार.....23

25. अपीलार्थी व्यवहारी का विधिक दायित्व है कि वह कर का भुगतान करें। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **केदारनाथ जूट मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी** न्यायिक दृष्टांत **(1971) 28 एस.टी.सी. 672** में व्यवस्था दी है कि बिक्री कर कानूनों में व्यवहारी जैसे ही करारोपण योग्य बिक्री का संव्यवहार करता है तब तत्क्षण ही कर भुगतान हेतु दायित्वाधीन हो जाता है। कर का भुगतान नहीं करने की स्थिति में व्यवहारी विधि के प्रावधानों की पालना नहीं करने का कृत्य कारित करता है।

26. उपरोक्त तथ्यात्मक विवेचना व विधिक विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्षित किया जाता है कि –

a. अपीलार्थी व्यवहारी वेट अधिनियम के प्रावधानों के तहत् एक डीलर है। अपीलार्थी व्यवहारी वाहन हस्तांतरण हेतु लागू मोटर व्हिकल्स अधिनियम के प्रावधानों की पालना करने के पश्चात् वाहन को उत्तरवर्ती क्रेता को बेचा जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी विधि के प्रावधानों के तहत् कर भुगतान हेतु दायी है। विधि के प्रावधानों के तहत् कर भुगतान हेतु दायी होने की स्थिति में वाहन का स्वामी है अथवा नहीं, तथा कर निर्धारण अधिकारी का निष्कर्ष किसी जांच के आधार पर है अथवा नहीं यह प्रश्न निश्चायक (Determinative) नहीं होता है।

b. वेट अधिनियम के प्रावधानों के तहत् डीलर है, तथा कर योग्य माल यूज्ड मोटर वाहन का विक्रय करता है।

c. लेखा पुस्तकों में संव्यवहारों का सत्य व सही लेखा करने के लिए दायी है।

d. सत्य व सही त्रैमासिक व वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने हेतु दायी है।

e. वैट अधिनियम के प्रावधानों के तहत् विहित समयावधि में कर भुगतान हेतु दायी है।

f. अपीलार्थी व्यवहारी की ऑडिट रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल, झारखण्ड व मध्यप्रदेश राज्य में वैट अधिनियम के तहत् कर भुगतान बकाया है। इस तथ्य के आधार पर यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने जानबूझकर कर योग्य बिक्री को घोषित नहीं किया है तथा इस हेतु वैट अधिनियम में विहित शास्ति को आमंत्रित किया है।

g. अपीलार्थी व्यवहारी वैट अधिनियम की धारा 10 के तहत् सबूत के भार का निर्वहन करने में असफल रहने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार नहीं है।

लगातार.....24

27. अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज व शास्ति आरोपित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज व शास्ति को यथावत रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। दोनों निम्नतर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के आधार पर पुष्टि किये जाने योग्य हैं। अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

28. निर्णय सुनाया गया।

11/08/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष